पत्थरगडी

ग्राम स्वराज की ओर

‘ I wish, therefore, that the village constitutions may never be disturbed and I dread everything that has a tendency to break them up.’

Report, Select Committee of the House of Commons, 1832

भारत का संविधान
सत्यमेव जयते
ग्राम सभा भण्डरा सर्वशक्त सम्पन्नता
दिनांक-09.03.2017 (बृहस्पतिवार)
पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि :-
(1) भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत रूढ़ि या प्रथा ही विधि का बल है यानि संविधान का शक्ति है /
(2) अनुच्छेद 19(5) के तहत पाँचवी अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ि प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घुमना-फिरना वर्जित करता है /
(3) भारत का संविधान अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई भी बाहरी व्यक्तियों को पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवसाय, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है /
(4) पाँचवी अनुसूची जिलों या क्षेत्रों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) परा (5)(1) के तहत संसद या विधानमण्डल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है /
आदेशानुसार
भा-भण्डरा

जमीनी हकीकत

- खूँटी, चाईबासा, लातेहार, लोहरदगा तथा अन्य कुछ जिलों में पत्थरगडी के प्रयास हो रहे हैं

- कम से कम दो सौ गाँव में किया जा चुका है.

जमीनी हकीकत

- संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर बात करने बैठे
- सत्तर साल में कोई विकास नहीं
- जमीन बचाने की जद्दोजेहद
- इससे जुडी अफवाह

मूल में है जमीन का मुद्दा

- छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908
- संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949
- 2016 में हुए संशोधन का प्रयास, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लौटाए
- मोमेंटम झारखण्ड

जमीन की जंग

झारखंड में पिछले छह महीने के दौरान पत्थरगड़ी की घटनाओं में काफी तेजी आई है

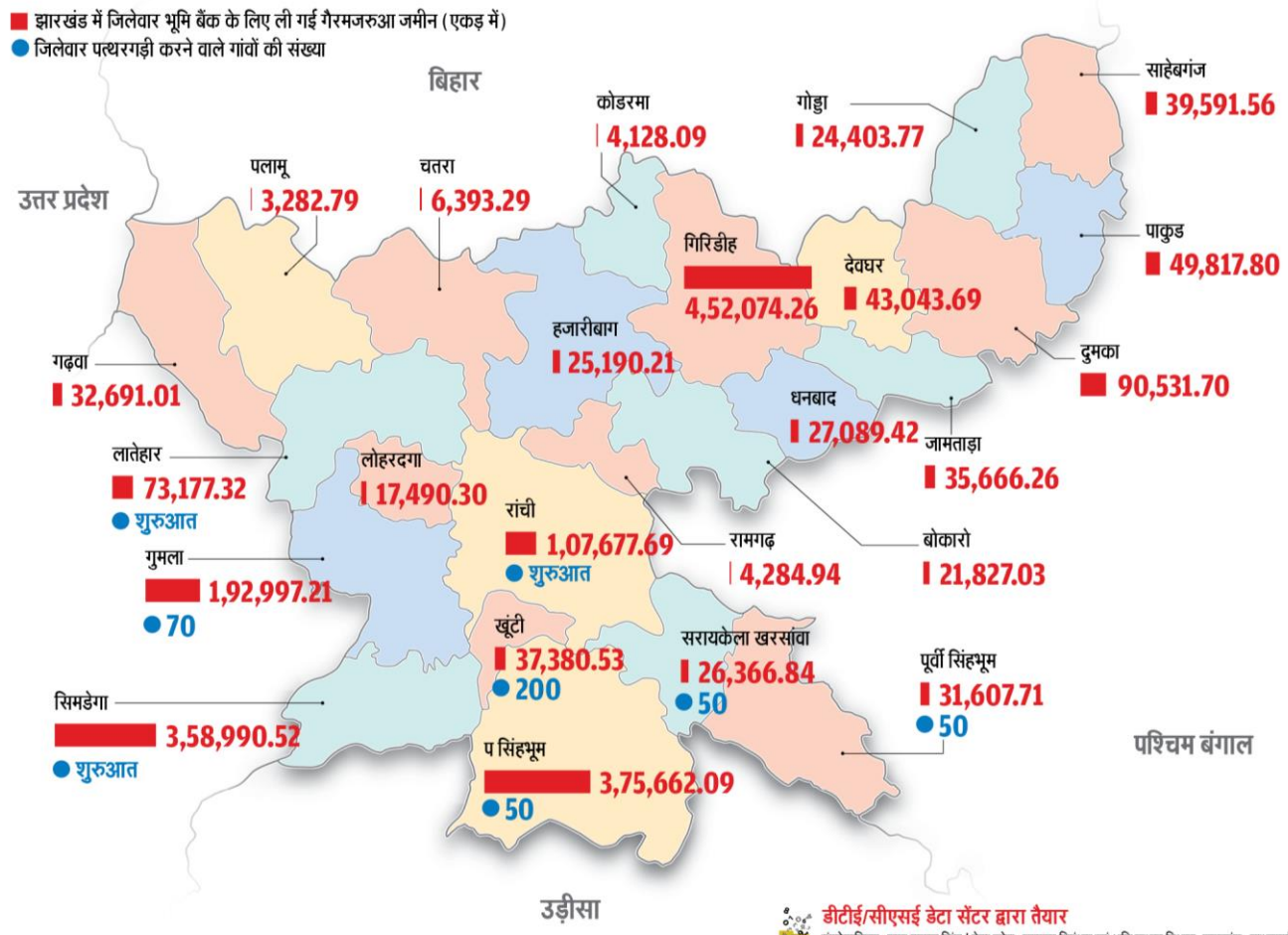

डीटीई/सीएसई डेटा सेंटर द्वारा तैयार

इंफोग्राफिक : राज कुमार सिंह | डेटा स्रोत : राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड ; पत्थरगड़ी की घटनाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं के हवाले से

इंफोग्राफिक के लिए *www.downtoearth.org.in/infographics* जाएं।

सरकार और मीडिया का रुख

शुक्रिया